सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 01, शुक्रवार, शाके 1944-सितम्बर 23, 2022
Asvina 01, Friday , Saka 1944- September 23, 2022

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2022

संख्या प.3(50)नविवि/3/2012 :-राजस्थान, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उपधारा (4) एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उपनियम (1) एवं नियम 16 के उपनियम (4) के अन्तर्गत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 3 की तालिकाओं को अतिक्रमित करते हुये राज्य सरकार निम्न तालिका अनुसार प्रीमियम दरें प्रशासन शहरों के संग अभियान अवधि में निर्धारित करती है अर्थात-

1. कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजन हेतु प्रीमियम दरें

तालिका

रूपये प्रति वर्ग मीटर में

क्र.सं.	प्रयोजन	क्षेत्रफल (व.मी.)	नगर निगम (संबंधित प्राधिकरण/न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र मैं भी)	नगर परिषद (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र मैं भी)	नगर पालिका (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र मैं भी)
1	आवासीय	**500** व.मी. तक (न्यूनतम दर)	**100**	**75**	**50**
		500 व.मी. से अधिक	**200**	**150**	**100**
2	मिश्रित	**300** व.मी.तक	**200**	**100**	**75**
		300 व.मी. से अधिक	**300**	**200**	**100**
3	वाणिज्यिक	**300** व.मी.तक	**200**	**100**	**75**
		300 व.मी. से अधिक	**400**	**300**	**200**
4	ग्रुप हाउसिंग	**5000** व.मी. एवं इससे अधिक	उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर के समान		
5	फार्म हाउस	**450** रूपये प्रति वर्गमीटर भू-आच्छादित क्षेत्र पर			
6	डेयरी प्रयोजन	प्रथम **1,000** वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का			

		50 प्रतिशत एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का **25** प्रतिशत
7	पर्यटन इकाई **(**होटल / मोटल / रिसोर्ट / एम्यूजमेंट पार्क आदि) एवं औद्योगिक	प्रथम **5,000** वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का **50** प्रतिशत
8	जन सुविधाओं- अस्पताल, डिस्पेन्सरी, स्पोर्टस कॉम्पलैक्स, धार्मिक व अध्यात्मिक संस्थाये	प्रथम **10,000** वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का **25** प्रतिशत
9	इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स- ऊर्जा, दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट, कन्टेनर डिपो	प्रथम **20,000** वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दरे एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का **25** प्रतिशत
10	धार्मिक व चैरिटेबल संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थानिक	प्रथम **40,000** वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर का **50** प्रतिशत

नोट:

1. अधिसूचना दिनांक **29.10.2021** के बिन्दु संख्या में **1** व **3** की तालिका के अतिरिक्त शेष अधिसूचना यथावत रहेगी।

2. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में नियम **10** के उपनियम **(2)** के अन्तर्गत प्रीमियम दरों में दी गई छूट यथावत रहेगी।

उक्त प्रीमियम दरें वित्त विभाग की आई डी संख्या - **102204808** दिनांक **20.09.22** द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ. जोगाराम,
शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग।

कुंजी लाल मीणा,
प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।